

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 19/2024 (गुण्डा एक्ट)

जी.सी.एम.एस.: 2024/63

उनवान

राज्य सरकार जर्गे थानाधिकारी पुलिस स्टेशन कनवास जिला कोटा
ग्रामीण (राज0)

बनाम

मांगीलाल पुत्र कालुलाल जाति मेहर उम्र 55 साल निवासी धुलेट थाना
कनवास जिला कोटा



कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 29.5.2026


थानाधिकारी पुलिस स्टेशन कनवास जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्गे पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल मांगीलाल पुत्र कालुलाल जाति मेहर उम्र 55 साल निवासी धुलेट थाना कनवास जिला कोटा थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते हैं। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं रहते हैं। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। गैरसायल के विरुद्ध अपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र.स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	148/8.7.2023	13 आरपीजीओ	135/18.7.2023	100 रु. जुर्माना 27.7.2023
2.	220/17.10.2023	13 आरपीजीओ	209/23.10.2023	100 रु. जुर्माना 4.11.2023

अतः गैरसायल मांगीलाल पुत्र कालुलाल जाति मेहर उम्र 55 साल निवासी धुलेट थाना कनवास जिला कोटा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुए नोटिस दिया गया। गैरसायल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। गैरसायल द्वारा कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। गैरसायल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से न्यायालय का यह मत है कि गैरसायल उक्त कार्यवाही बाबत कोई सुनवाई नहीं चाहता है। अतः थानाधिकारी कनवास द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अ0धा0 3(1) राज0 गुण्डा अधि0 1975 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी कनवास द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरुद्ध 13 आरपीजीओ की धारा 3(1) के तहत 02 अभियोग दर्ज हुए हैं। अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं दण्डित


अति. जिला कलक्टर
कोटा

